भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना प्रभाग

परियोजना प्रस्ताव कॉल
"विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार निधि"

फिस्ट 2023 कार्यक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

"विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान एस एंड टी अवसंरचना सुधार निधि" (फिस्ट) कार्यक्रम-2023

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार की "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार निधि (फिस्ट)" योजना के अंतर्गत सहायता पर विचार करने के लिए प्रस्ताव ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा और समर्थकारी सुविधाएं प्रदान करना है। इसे अनुसंधान गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से आगे बढ़ाने के लिए समर्थकारी विभागों/केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों के लिए पूरक सहायता के रूप में माना जाता है। अत्यधिक सफल फिस्ट कार्यक्रम पर वर्तमान जोर न केवल शैक्षणिक संगठनों में अनुसंधान गतिविधियों के लिए, बल्कि स्टार्ट-अप्स/विनिर्माण उद्योगों/एमएसएमई द्वारा उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास अवसंरचना सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में इसे आगे बढ़ाने के लिए है। इन संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक सूचना के माध्यम से बहु-परिवर्तन के माध्यम से फिस्ट सुविधाओं के उपयोग सहित उचित तंत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सहायता की प्रकृति: इस योजना से स्नातकोत्तर और उच्चतर अनुसंधान के लिए इष्टतम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे कि मौजूदा प्रयोगशाला स्पेस (कोई नया निर्माण नहीं) और शीत कक्ष का नवीकरण, स्नातकोत्तर और उच्च अनुसंधान में अंतर्ग्रस्त प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, आवश्यक उपकरणों का अर्जन, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सहित नेटवर्किंग और कम्प्यूटेशनल सुविधाएं, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें (कोई पत्रिका नहीं), मौजूदा और नई सुविधाओं का रखरखाव और नवीकरण आदि। कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उद्देश्य विभाग के प्रयासों या विभाग में कई संकाय सदस्यों को सहायित करना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुसंधान के तालमेल और फोकस को अधिमानतः राष्ट्रीय मिशनों / प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा सकता है।

अवधि: प्रत्येक फिस्ट परियोजना सहायता की अवधि 5 साल के लिए होगी।

पात्रता: **विश्वविद्यालय/डिग्री प्रदाता शैक्षणिक संस्थानों** के लिए, इकाई के रूप में 'विभाग/स्कूल/केंद्र' को सहयोग देने पर विचार किया जाएगा। सभी विज्ञान [जीवन विज्ञान के तहत केवल पारंपरिक/बुनियादी जैविक क्षेत्र और आधुनिक जीव विज्ञान (जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, रोग जीव विज्ञान आदि सहित) के तहत क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को छोड़कर] और इंजीनियरिंग विभागों / केंद्रों में सुदृढ़ पीजी अनुसंधान कार्यक्रम हैं जो यूजीसी / एआईसीटीई और / या एमएचआरडी / राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5 साल या उससे अधिक समय से मौजूद हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के तत्वावधान में शैक्षिक संगठनों को फिस्ट 2023 सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है।

पहले की फिस्ट परियोजना (किसी भी स्तर से निरपेक्ष) के बाद फिस्ट सहायता के किसी भी दोहराव चक्र के लिए, अब से ऐसे सभी लाभार्थी विभाग/ कॉलेज को निम्नलिखित कूल-ऑफ अवधि की श्रेणी के अनुसार उचित स्तर पर सहायता के लिए विचार किया जाएगा:

क्र. सं.	*ठीक पूर्ववर्ती परियोजना के ग्रेडिंग की समीक्षा**	*परियोजना अवधि के पूरा होने के बाद (किसी भी विस्तारित अवधि सहित) कूल-ऑफ अवधि*
1.	उत्तम	2 वर्ष
2.	बहुत अच्छा	
3.	अच्छा	3 वर्ष
4.	संतोषजनक	5 वर्ष

* कॉलेज के विभाग प्रमुख/प्राचार्य के संस्थागत ईमेल खाते के माध्यम से डीएसटी को ईमेल करके समीक्षा ग्रेडिंग की मांग की जा सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी विभाग/ केंद्र / स्कूल को जिन्हें पहले से ही फिस्ट कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त हो चुकी है, चल रही परियोजना अवधि के पूरा होने के बाद संबंधित परियोजना के अंतिम निपटान और पूर्णता के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना होगा और 'परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा।

<u>कॉलेज के लिए, 'समग्र रूप में कॉलेज'</u> सहायता पर केवल स्नातकोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के लिए विचार किया जाएगा, न कि अन्य विभागों जैसे मानविकी, प्रबंधन, वाणिज्य आदि के लिए। इसके अतिरिक्त, एनआईटी/आईआईटी/स्कूल/केंद्र/विश्वविद्यालय संघटक कॉलेज स्तर क के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

सहायता का प्रकार: वर्तमान में, चार अलग-अलग स्तरों के अनुरूप चार प्रकार की सहायता हैं। ये इस प्रकार हैं:

(1) स्तर 'क' (अकादमिक-पीजीसी): सक्रिय पीजी कॉलेजों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी) (स्तर-क के लिए विनिदष्ट पात्रता रखने वाले) के प्रस्तावों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के लिए अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए विचार किया जाएगा।

(2) स्तर 'ख' (बुनियादी अनुसंधान एवं विकास विभाग): विभिन्न विश्वविद्यालयों से अपेक्षाकृत छोटे लेकिन सक्रिय स्नातकोत्तर एस एंड टी विभाग (स्तर-बी के लिए विनिदष्ट पात्रता वाले) और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए मध्यम वित्त पोषण की आवश्यकता वाले शैक्षिक संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के प्रस्ताव। किसी विभाग/स्कूल/केंद्र को अनुसंधान सुविधाओं के संवर्धन के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 3.0 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

(3) स्तर 'ग' (समकालीन अनुसंधान एवं विकास विभाग): अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए पर्याप्त वित्तपोषण (ऊपरी सीमा - 50 करोड़ रुपये) की आवश्यकता वाले उच्च ख्याति वाले शैक्षिक संस्थानों (स्तर-ग के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता वाले) से सुस्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और डिग्री प्रदान करने के प्रस्ताव।

(4) स्तर 'घ' (विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास विभाग): राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सुस्थापित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और डिग्री प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थानों (स्तर-घ के लिए विनिदष्ट पात्रता वाले) के प्रस्ताव। केवल अत्याधुनिक उपकरणों/सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त पोषण सहायता की ऊपरी सीमा 10.0 करोड़ रुपये होगी।

<u>फिस्ट कार्यक्रम के तहत समर्थन के लिए विचार किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए मानदंड:</u>

<u>स्तर-क</u> :

i) पीजी कॉलेजों (केवल एस एंड टी संबंधित विभागों के लिए) के लिए 5 साल की अवधि के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक का वित्त पोषण,
ii) कॉलेज के पास या तो एनआईआरएफ रैंकिंग / एनबीए / एनएएसी / या किसी अन्य राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा मान्यता होनी चाहिए,
iii) कॉलेज कम से कम पांच (5) वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए,
iv) छात्रों की न्यूनतम संख्या पीजी कार्यक्रमों (15) के लिए संचयी और यूजी कार्यक्रमों के लिए संचयी (30),
v) पीजी स्तर पर पीएचडी वाले संकाय की औसत संख्या सभी एस एंड टी विभागों में 4 हो,
vi) कॉलेज के पीजी विभाग (विभागों) में बाह्य अनुसंधान अनुदानों के संबंध में अनुसंधान के साक्ष्य, कॉलेज में अनुसंधान सुविधाओं का पूर्ण/आंशिक रूप से उपयोग करके पूर्णकालिक पीएचडी करने वाले शोधार्थियों की देखरेख/सह-पर्यवेक्षण में शामिल संकाय, और नेट/गेट योग्यता या संस्थान/किसी अन्य एजेंसी फैलोशिप के धारक के आधार पर कुछ फैलोशिप भी प्राप्त कर रहे हैं।
vii) स्व-वित्तपोषित निजी/सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए सहायता पर साझा आधार पर विचार किया जाएगा - कुल परियोजना लागत और / या कुल परियोजना लागत के भीतर वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) का डीएसटी हिस्सा 75% की दर से और कॉलेज / संस्थान प्रबंधन हिस्सा 25% की दर से ।

<u>स्तर-ख</u> :

i) इस स्तर पर मध्यम/बुनियादी अनुसंधान गतिविधियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 30 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण किया जाता है।
ii) निम्नलिखित में विभाग: क) राज्य विश्वविद्यालय; ख) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पहली बार आवेदन करने वाले विभाग [नए आईआईटी / एम्स सहित (2014 से स्थापित) और वर्तमान में एक अस्थायी परिसर में काम कर रहे हैं],
iii) सभी आईआईटी/एआईआईएमएस (**ऊपर उल्लिखित के अलावा**), आईआईएससी और आईआईएसईआर के विभागों पर स्तर ख सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा,
iv) विभाग कम से कम पांच (5) वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए,
(v) पीएचडी डिग्री धारी कोर संकाय सदस्यों की संख्या पांच (5) या उससे अधिक होनी चाहिए,
(vi) सहायता के पुनरावर्ती चक्र की मांग करने वाले विभागों को लागू कूल-ऑफ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है,

vii) पिछले 5 वर्षों में प्रदर्शन:
   क) एससीआई पत्रिकाओं, पेटेंट आदि में प्रकाशन।
   ख) विभाग/केन्द्र के संकाय सदस्यों द्वारा प्राप्त पुरस्कार
   ग) प्रत्येक संकाय सदस्य के साथ ईएमआर/सीआरजी परियोजनाओं की संख्या
   घ) किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों के अध्येता के रूप में संकाय की मान्यता

viii) अगले 5 वर्षों के लिए अनुमानित अनुसंधान योजना,

ix) स्व-वित्तपोषित निजी संगठनों के लिए, विश्वविद्यालय के विभागों में कम से कम 50% छात्र पूर्णकालिक शोधकर्ताओं के रूप में पीएचडी कर रहे हों और नेट/गेट योग्यता या संस्थान/किसी अन्य एजेंसी फैलोशिप के धारक के आधार पर अपनी फैलोशिप प्राप्त करें।

x) स्व-वित्तपोषित निजी/सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए सहायता पर साझा आधार पर विचार किया जाएगा - कुल परियोजना लागत और / या कुल परियोजना लागत के भीतर वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) का डीएसटी हिस्सा 75% की दर से और कॉलेज / संस्थान प्रबंधन हिस्सा 25% की दर से।

<u>स्तर-ग</u> :

i) इस स्तर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 5.0 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण है,
ii) निम्नलिखित में विभाग: क) राज्य विश्वविद्यालय; ख) केंद्रीय विश्वविद्यालय/सभी शैक्षणिक संस्थान/आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर और एम्स,
iii) सहायता के पुनरावर्ती चक्र की मांग करने वाले विभागों को लागू कूल-ऑफ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है**,**
iv) विभाग कम से कम पांच (**5)** वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए**,**
v) पीएचडी डिग्री धारी कोर संकाय सदस्यों की संख्या आठ (8) या उससे अधिक होनी चाहिए,
vi) सुस्थापित विभाग/केन्द्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए,
vii) समर्थन का फोकस राष्ट्रीय मिशनों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
viii) पिछले 5 वर्षों में प्रदर्शन
क) एससीआई पत्रिकाओं, पेटेंट आदि में प्रकाशन।
ख) विभाग/केन्द्र के संकाय सदस्यों द्वारा प्राप्त पुरस्कार
ग) प्रत्येक संकाय सदस्य के साथ ईएमआर/सीआरजी परियोजनाओं की संख्या
घ) किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अकादमियों के अध्येता के रूप में संकाय की मान्यता
ix) अगले 5 वर्षों के लिए अनुमानित अनुसंधान योजना,
x) कोई अतिरिक्त रखरखाव सहायता नहीं। ऐसे विभागों को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए खरीद के समय उपकरणों की व्यापक वारंटी को शामिल करने/समझौता करने की आवश्यकता होती है।
xi) स्व-वित्तपोषित निजी संगठनों के लिए, विश्वविद्यालय/संस्थान के विभागों में कम से कम 50% पीएचडी छात्रों को पूर्णकालिक शोधकर्ताओं के रूप में पीएचडी करने और नेट/गेट योग्यता या संस्थान/किसी अन्य एजेंसी फैलोशिप के धारक के आधार पर अपनी अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए।
xii) विश्वविद्यालय/संस्थान (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) के विभागों को सहायता पर साझा आधार पर विचार किया जाएगा - कुल परियोजना लागत और / या कुल परियोजना लागत के भीतर वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) की दर से डीएसटी का हिस्सा **75%** और अनुदानी विश्वविद्यालय/संस्थान का हिस्सा **25%** की दर से।

<u>स्तर -घ</u> :

i) राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभाग /सभी शैक्षणिक संस्थान (आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर और एम्स सहित) जो अनुसंधान गतिविधियों में अच्छी तरह से स्थापित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी विभाग/केंद्र हैं,
ii) 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तपोषण ₹10.0 करोड़ तक है,
iii) विभाग कम से कम पंद्रह (15) वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए,
iv) विभाग को पहले से ही स्तर 'ग' पर फिस्ट सहायता के 2 चक्र प्राप्त होने चाहिए और उन परियोजनाओं में कम से कम एक 'उत्कृष्ट' और एक 'बहुत अच्छी' समीक्षा ग्रेडिंग हासिल करनी चाहिए।
v) सहायता का फोकस राष्ट्रीय मिशनों के साथ-साथ विनिर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, जल और स्टार्ट-अप इंडिया आदि में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
(vi) पीएचडी डिग्री वाले स्थायी संकाय सदस्यों की न्यूनतम संख्या दस (10) संकाय सदस्य होनी चाहिए,
(vii) विभाग/केन्द्र में कम से कम 20% संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी जैसे अकादमियों की सदस्यता, पुरस्कार और नेतृत्व की भूमिका आदि।
(viii) पिछले 10 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर विभाग/केन्द्र के प्रोफाइल का मापन
ix) प्रत्येक प्रकाशन के उद्धरण के साथ एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशन,
x) कोई अतिरिक्त रखरखाव सहायता नहीं। ऐसे विभागों को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए खरीद के समय उपकरणों की व्यापक वारंटी को शामिल करने/बातचीत करने की आवश्यकता होती है।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश

1. "डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल" के होम पेज पर जाने के लिए onlinedst.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2. फॉर्म भरने से पूर्व उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डीएसटी वेबसाइट (www.dst.gov.in) पर प्रकाशित संगत विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पोर्टल साइट पर लॉग-इन करने उपरांत ई-पीएमएस पोर्टल (www.onlinedst.gov.in) पर प्रस्ताव संरूप में भी उपलब्ध है।
3. अपने समय की बचत और डेटा हानि निवारण हेतु कृपया अपने विभाग [स्तर बी / स्तर सी / स्तर डी] या पीजी कॉलेज [स्तर ए] के लिए उपयुक्त प्रस्ताव संरूप डाउनलोड करें, संरूप (वर्ड और पीडीएफ) फ़ाइल (अधिकतम आमाप 5 एमबी) के अनुसार सभी अपेक्षित जानकारी भरें और फिर इसे अनिवार्य दस्तावेजों को जमा करने के दौरान अपलोड के लिए सुलभ रखें।
4. "सबमिट प्रपोसल्स" लिंक पर क्लिक करें जो आपको ऐसे पृष्ठ पर ले जाएगा जिसमें प्रारम्भिक कई सूचनाएं- सामान्य जानकारी, प्रधान अन्वेषक आदि मांगी गई हैं। **कृपया आवेदन के सामान्य संरूप में यथा उल्लिखित अनिवार्य जानकारी भरें। अन्य सभी दस्तावेज/जानकारी देने हेतु आप कृपया आवेदन संरूप के साथ समेकित प्रस्ताव, जो आपके लिए उपयुक्त हो, के भाग के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।**
5. उपरोक्त सभी विवरणों को भरने के बाद "प्रिव्यू" बटन पर क्लिक करने पर आवेदन संरूप को अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व अपने विवरण का पूर्वावलोकन करने का प्रावधान है। प्रिव्यू पृष्ठ उन सभी तथ्यों/विवरणों को प्रदर्शित करेगा जिनका आपने प्रविष्टि-समय पर उल्लेख किया है। यदि आप भरे हुए विवरण से आश्वस्त हैं तो सर्वर में डेटा के प्रेषणार्थ "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव/विचाराधीन नहीं होगा।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2023 तक जमा किया जाना चाहिए जिसके बाद वेब-लिंक स्वचालित रूप से किसी भी उपयोग के लिए अकार्यशील हो जाएगा। किसी भी जानकारी हेतु डॉ अरिंदम भट्टाचार्य; ईमेल आईडी: a.bhattacharyya@nic.in **से संपर्क करें**

कृपया ध्यान दें

1 प्रस्तावों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2 विभागों को आवेदन की पूर्णता की जांच इसे अंतिमतः प्रस्तुतीकरण से पूर्व कर लेना चाहिए। चूंकि एक विभाग/कॉलेज से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन (3) अवसर उपलब्ध हैं, अतः **प्रस्तुत अंतिम प्रस्ताव पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा**। विभाग/कॉलेज प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति अपने संदर्भ हेतु रखेगा। **डीएसटी में प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

3 अपूर्ण या गलत तरीके से भरे गए आवेदन संरूप अथवा अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज की कमी वाले आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। इस विज्ञापन और/अथवा आवेदन से उत्पन्न दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली न्यायालय/अधिकरण/मंचों और दिल्ली न्यायालय/अधिकरण/मंचों में ही, जिनके पास किसी भी मामले/विवाद का विचारण करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा, की जा सकती है।

4 ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। विश्व विद्यालय/डिग्री प्रदाता शैक्षिक संस्थान विभाग (स्तर बी/ स्तर सी / स्तर डी) और कॉलेजों (स्तर ए) को वेबसाइट (WWW.DST.GOV.IN) में प्रदत्त ऑनलाइन पोर्टल (ONLINEDST.GOV.IN) पर अपलोड किए गए आवेदन के पृथक-पृथक संरूप का उपयोग करना चाहिए। निर्धारित संरूप से भिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने, कार्यक्रम मानदंडानुसार अग्र प्रक्रमण के बिना सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड किए जाने वाले **अनिवार्य दस्तावेज**:

- फिस्ट-*2023* हेतु पीआई से पुष्टि और सारांश शीट
- विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/संस्थान प्रमुख/कॉलेज प्राचार्य का अनुमोदन पत्र
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - हित संघर्ष नीति
- "फिस्ट" अनुदान के लिए नियम और शर्तें
- परियोजना कार्यान्वयन समूह (पीआईजी)
- एफआईएसटी सहायता का संक्षिप्त सारांश **(पहली बार सहायता मांगने वाले विभागों / कॉलेजों के लिए अनपेक्षित)**

कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण प्रस्ताव/निर्धारित संरूप में अप्रदत्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में ऐसे मामलों पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सफल विभागों के नाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

xi) पेटेंट (दाखिल प्रस्तुत अथवा स्वीकृत) और वाणिज्यिक लाभार्थ प्रयुक्त पेटेंट,
   क) 1) राष्ट्रीय एजेंसियों, 2) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, 3) उद्योग (सहयोगी अनुसंधान और परामर्श दोनों पर) से प्राप्त बाहिषप्राकार अनुसंधान (ईएमआर) अनुदान
   ख) प्रदत्त पूर्णकालिक पीएचडी,
   ग) क) राष्ट्रीय और ख) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों यथा अकादमी सदस्यता, पुरस्कार आदि से संकाय सदस्यों का सम्मान।

Xii) स्व-वित्तपोषित निजी संगठनार्थ, विश्वविद्यालय के विभागों में कम से कम 50% पीएचडी छात्र होने चाहिए जो पूर्णकालिक अनुसंधान स्कॉलर के रूप में पीएचडी कर रहे हों और नेट/गेट योग्यता अथवा संस्थान/किसी अन्य एजेंसी की अध्येतावृत्ति धारण के आधार पर फैलोशिप प्राप्त कर रहे हों।

Xiii**)** विश्वविद्यालय/संस्थान (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) के विभागों को सहायता दिए जाने पर साझाकृत आधार पर विचार किया जाएगा - कुल परियोजना लागत में डीएसटी share@75% और अनुदानग्राही विश्वविद्यालय / संस्थान का हिस्सा **25%** और/अथवा कुल परियोजना लागत के भीतर वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) ।

कृपया ध्यान दें ।

- अनुदानग्राही प्राप्तिकर्ता संगठनों द्वारा संसाधन साझाकरण-

  <u>स्तर 'ए' और 'बी' हेतु</u> -सभी सरकारी संगठन: 100% @DST

  कोई भी गैर-सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त संगठन: 75% @DST और 25% @ अनुदानग्राही संस्थान

  <u>स्तर 'सी' और 'डी' हेतु-</u> सभी संगठन (सरकारी / गैर-सरकारी): 75% @DST और 25%@ अनुदानग्राही संस्थान

- गैर-लाभकारी स्थिति के तहत निजी शैक्षणिक विश्वविद्यालय/ कॉलेज/संस्थान और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रस्तुति करने की प्रक्रिया में <u>अकादमिक संस्थान (निजी)</u> विकल्प के रूप में माना जाएगा।

चयन: समकक्ष व्यक्ति से समीक्षा कार्यतंत्र और यदि आवश्यक हो तो प्रयोगशाला परिदर्शन करके चयन किया जाएगा। विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड अंतिम चयन करने में डीएसटी को सहायता देगा।